

**भाग-2**  
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव राज्य कम संख्या.....

|      |                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 7    | परियोजना/स्कीम का स्थान                                                                                                                                                                          | रजापुर लिंक मार्ग का निर्माण               |
| i    | राज्य/संघ शासित क्षेत्र                                                                                                                                                                          | उत्तर प्रदेश।                              |
| ii   | जिला                                                                                                                                                                                             | उन्नाव।                                    |
| iii  | वन प्रभाग                                                                                                                                                                                        | सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव।          |
| iv   | वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल हे० में                                                                                                                                   | 0.064 हे०                                  |
| v    | वन की कानूनी स्थिति                                                                                                                                                                              | "वन भूमि" अन्तर्गत धारा-4 भा० व० अधि० 1927 |
| vi   | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ० आर० एल० 4 भी संलग्न किये जायें                                        | कोई वृक्ष प्रभावित नहीं।                   |
| vii  | हरियाली का घनत्व                                                                                                                                                                                 | शून्य                                      |
| viii | भू-क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी                                                                                                                                  | शून्य                                      |
| ix   | वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा                                                                                                                                                | शून्य                                      |
| x    | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व, वाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर का भाग है (यदि हाँ, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणी अनुबन्धित की जायें)       | नहीं है।                                   |
| xi   | क्या वन क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायीं जाती हैं। यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।                                                                | नहीं है।                                   |
| xii  | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित है। यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी सक्षम अधिकार का प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।         | नहीं है।                                   |
| 8    | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्प के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | न्यूनतम है।                                |
| 9    | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।     | नहीं।                                      |

|     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| i   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमिक वन क्षेत्र आस पास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। स्कीम का ब्यौरा                      | भूखण्ड की संख्या-1, आकार-आयताकार                                                                       |
| ii  | प्रति पूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमिक वन क्षेत्र आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप                                                                            | संलग्न है।                                                                                             |
| iii | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण, कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।                                                                    | प्रजातियां-कंजी, प्रोसोपिस आदि। एजेन्सी-सा0वा0 वन प्रभाग, उन्नाव। स्कीम का विवरण संलग्न है।(संलग्नक-1) |
| iv  | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कुल वित्तीय परिव्यय                                                                                                                                            | रु0 183200.00 मात्र                                                                                    |
| v   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये) | संलग्नक है। (संलग्नक-2)                                                                                |
| 11  | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतया उपर्युक्त कालम-7 (xi, xii) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये                                                                 | संलग्नक है। (संलग्नक-3)                                                                                |
| 12  | विभाग/जिला प्रोफाईल                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
| i   | जिले का भौगोलिक क्षेत्र                                                                                                                                                                 | 45580.0 हे0                                                                                            |
| ii  | जिले का वन क्षेत्र                                                                                                                                                                      | 16653.84 हे0                                                                                           |
| iii | मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र                                                                                                                     | 15 मामले, 93.1638 हे0                                                                                  |
| iv  | 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| d   | दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि                                                                                                                                           | —                                                                                                      |
| [k  | वनेत्तर भूमि पर                                                                                                                                                                         | —                                                                                                      |
| v   | प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति                                                                                                                                                          |                                                                                                        |
| d   | वन भूमि पर                                                                                                                                                                              | 109 हे0 एवं 8221 ब्रिकगार्ड हे0                                                                        |
| [k  | वनेत्तर भूमि पर                                                                                                                                                                         | —                                                                                                      |
| 13  | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।                                                                                    | जनहित में परियोजना स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।                                           |

दिनांक 05-5-2015

स्थान

(वी0के0 मिश्रा)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,  
उन्नाव